राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2008/2019

वेद प्रकाश शर्मा –अपीलार्थी

बनाम

1. निदेशक, संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, बूंदी जिला बूंदी राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.07.2019
आदेश की दिनांक : 25.10.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री महेश चंद गुप्ता, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की आरे से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से एम.ए. इतिहास विषय में 1983 में पास की एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से एम.ए. हिन्दी विषय में 1984 में पास की, एवं बी.एड. की परीक्षा 1987 में पास की, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से एम.ए. राजनीति विज्ञान विषय में 1996 में पास की एवं राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से एम.ए. संस्कृत वर्ष 1998 में पास की एवं आचार्य साहित्य वर्ष 2002 में पास की एवं एम.एड. की परीक्षा वर्ष 1992 में पास की। अपीलार्थी की नियुक्ति निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर से अध्यापक ग्रेड द्वितीय, (गणित विषय) में आदेश दिनांक 12.11.1982 के तहत हुई एवं पदस्थापन राजकीय संस्कृत कॉलेज गनोड़ा, जिला बांसवाड़ा में हुआ एवं दिनांक 06.12.1982 को कार्यग्रहण किया। (अनुलग्नक–1) उसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नती वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड के पद पर डी. पी.सी. द्वारा आदेश दिनांक 15.07.1996 को हुई एवं पदस्थापन राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चेचट जिला कोटा में हुआ, जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 27.07.1996 को कार्यग्रहण किया। (अनुलग्नक–2) इसके पश्चात आदेश दिनांक 31.12.2002 के द्वारा अपीलार्थी की नियुक्ति प्राचार्य वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय के पद पर पातेय वेतन में हुई एवं पदस्थापन राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय चेचट जिला कोटा, में हुआ जहां पर दिनांक 11.01.2003 को कार्यग्रहण

किया। (अनुलग्नक–3) अपीलार्थी ने निदेशक संस्कृत शिक्षा विभाग जयपुर के आदेश दिनांक 25.10.1989 के अनुसार परमिशन लेकर एम. एड. की गई है तथा जिसकी योग्यता का अंकन निशिसि संस्था–3 पी.एफ. 1405/42328–30 दिनांक 16.09.1993 द्वारा सेवा पुस्तिका में अंकन किया गया है एवं पुनरीक्षित वेतनमान 1989 अनुसूची–प्ट के बिन्दू संख्या 5 के अनुसार द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक द्वारा सेवामें रहते हुए एम. एड. योग्यता धारित करने पर एक वेतन वृद्धि देय है, परन्तु अपीलार्थी को नियमानुसार सम्पूर्ण योग्यता रखने के बावजूद भी उक्त लाभ नहीं दिया गया। जिस बाबत अपीलार्थी ने बार–बार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये है, परन्तु आज तक अपीलार्थी को एम.एड की योग्यता धारित करने पर एक वेतन वृद्धि देय होने के बावजूद भी नहीं दी गई। जिस बाबत अपीलार्थी ने दिनांक 31.10.1996 को श्रीमान निदेशक महोदय संस्कृत शिक्षा जयपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी को निदेशालय संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से एम.एड. पत्राचार पाठ्यक्रम से करने की अनुमति दी गई थी। (अनुलग्नक–5) एम.एड. की योग्यता धारित करने का सेवा पुस्तिका में दिनांक 16.09.1993 को अंकन किया गया। (अनुलग्नक–6 व 7) अपीलार्थी ने दिनांक 11.04.1994 एवं 25.06.2007, एवं 20.02. 2017, 04.05.2017 को एम.एड. की योग्यताधारित करने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृति हेतू निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। (अनुलग्नक–8) संयुक्त निदेशक संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश दिंनाक 12.06.2017 के द्वारा अपीलार्थी को एम.एड. की योग्यता धारित करने पर एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्वीकृत करने से इन्कार कर दिया। (अनुलग्नक–9) अपीलार्थी को मेडिकल लीव अवधी दिनांक 26.09. 2017 से 22.12.2017 की मेडिकल लीव स्वीकृत नहीं करके अर्द्ध वेतनिक अवकाश स्वीकृत करके अपीलार्थी को 1,50,000/– रूपये की क्षति पहुँचाई गई, जबकि मेडिकल लीव शेष है, एवं अपीलार्थी को सेवा में रहते हुए एम.एड. करने पर 1992 से अभी तक एक वेतन वृद्धि स्वीकृत नहीं की है. जिस बाबत अपीलार्थी ने दिनांक 05.04.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, एवं दिनांक 20.04. 2019 को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, एवं अपीलार्थी ने दिनांक 18.06. 2019 को भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, उसके बावजूद भी आज तक अपीलार्थी को उक्त लाभ नहीं दिया गया एवं अपीलार्थी दिनांक 31.07.2019 को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहा है। (अनुलग्नक–10) अभ्यावेदनों की प्राप्ति के पश्चात भी विपक्षीगण द्वारा आज दिनांक तक अपीलार्थी को अध्यापक द्वितीय श्रेणी में रहते हुए, एम.एड. की योग्यता अर्जित करने पर एक वेतन वृद्धि देय होते हुए भी नहीं दी गई एवं 88 दिन का मेडिकल लीव का वेतन भी नहीं दिया गया।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जावे कि अपीलार्थी की मेडिकल लीव दिनांक 26.09.2017 से दिनांक 22.12.201 तक 88 दिवस की स्वीकृत करने के आदेश फरमावे एवं अध्यापक द्वितीय श्रेणी की सेवा के

दौरान परमिशन लेकर एम.एड. की योग्यता धारित करने पर एक वेतन वृद्धि दिये जाने के आदेश फरमावे एवं समस्त एरियर / राशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित दिलवाया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री वेदप्रकाश शर्मा प्राचार्य पातेय वेतन राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, आजन्दा जिला बूंदी द्वारा विभागीय अनुमति लेकर 1992 मे एम. एडकी डिग्री लिये जाने पर एक अतिरिक्तवेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के संन्दर्भ में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1989 के अनुसार संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अतः अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकती है। इस संबंध में श्री शर्मा को पूर्व मैं भी विभागीय पत्रांक निसंशिध्संख्या–2क / पं01405 / 2017 / 20308 दिनांक 12.06.2017 एवं 14906–07 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। श्री शर्मा द्वारा दिनांक 26.09. 2017 से 22.12.2017 तक कुल 88 दिवस केअधवैतनिक अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ही नियमानुसार अधवैतनिक अवकाश स्वीकृत किये गये थे। श्री शर्मा दिनांक 31.07.2019 को राज्य सेवा से सेवानिवृत हो चुके हैं। श्री शर्मा के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन होने के कारण इनके द्वारा अन्तःकालीन पेंशन प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने पर विभाग द्वारा दिनांक 10.06.2020 को अन्तःकालीन पेंशन निस्तारित कर दिया गया है। श्री शर्मा दिनांक 31.07.2019 को राज्य सेवा से सेवानिवृत हो चुके हैं। श्री वेदप्रकाश शर्मा प्राचार्य पातेय वेतन राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, आजन्दा जिला बूंदी द्वारा विभागीय अनुमति लेकर 1992 में एम.एड. की डिग्री लिये जाने पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के सन्दर्भ में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1989 के अनुसार संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अतः अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकती है। इस संबंध में श्री शर्मा को पूर्व में भी विभागीय पत्रांक निसंशिध्संस्था–2कध्पं0 1405ध्2017ध्20308 दिनांक 12.06. 2017 एवं 14906–07 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः अपील खारिज योग्य है। श्री वेदप्रकाश शर्मा प्राचार्य पातेय वेतन राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, आजन्दा जिला बूंदी द्वारा विभागीय अनुमति लेकर 1992 में एम.एड. की डिग्री लिये जाने पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के सन्दर्भ में राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 1989 के अनुसार संस्कृत शिक्षा के अध्यापकों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दिये जाने का नियमों में प्रावधान नहीं है। अतः अतिरिक्त वेतनवृद्धि स्वीकृत नहीं की जा सकती है। इस संबंध में श्री शर्मा को पूर्व में भी विभागीय पत्रांक निसंशिध्संस्था–2कध्पं0 1405ध्2017ध्20308 दिनांक 12.06. 2017 एवं 14906–07 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सूचित किया जा चुका है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

अपीलार्थी की ओर जवाबबुल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलार्थी द्वारा विभागीय अनुमति लेकन वर्ष 1992 में एम.एड. की डिग्री लिये जाने पर एक

अतिरिक्त वेतन वृद्धि स्वीकृत जाने का प्रावधान राजस्थान सिविल सेवा पुनरक्षित वेतनमान नियम 1989 में प्रावधान है कि जो व्यक्ति सेवा में रहते हुए एम.एड. डिग्री अर्जित करेगे उन्हें एक अग्रिम वेतन वृद्धि दी जावेगी।

हमने प्रत्यर्थी विभाग को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)